बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या–टी 1/स्था0 (अनु0)–190/2008–.......950.......पटना, दिनांक– 11.5.2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल, एतद्द्वारा, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अनुदेशक संवर्ग (अराजपत्रित पदों) की भर्ती एवं प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली–2018

भाग–I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(1) यह नियमावली "बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली–2018" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :– इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो –

(i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग;

(ii) "कोटि" से अभिप्रेत है, नियम–3 में विनिर्दिष्ट कोटि;

(iii) "सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त व्यक्ति;

(iv) "औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान" से अभिप्रेत है बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान;

(v) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना;

(vi) "परिवीक्षाधीन" से अभिप्रेत है अनुदेशक संवर्ग कोटि में परिवीक्षाधीन रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(vii) वरीयता सूची से अभिप्रेत है संवर्ग के कर्मचारियों की वरीयता सूची, जिसका संधारण निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा;

(viii) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी0 आई0 टी0 एस0) से अभिप्रेत है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षित अनुदेशकों की तैयारी हेतु राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की प्रशिक्षण योजना;

(ix) किसी व्यवसाय के लिए शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है, शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी0आई0टी0एस0) के अधीन एक वर्षीय प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्र अथवा मॉड्यूलर पैटर्न की दशा में सभी विहित मॉड्यूल्स के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदान किये गय संयुक्त प्रमाण पत्र;

(x) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0भी0टी0) से अभिप्रेत है, सम्पूर्ण भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण को विनियमित करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी0 जी0 टी0) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित परिषद;

(xi) किसी व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है, उस व्यवसाय में ऑल इण्डिया ट्रेड टेस्ट के सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। किसी अभ्यर्थी के लिए सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स स्कीम के अधीन किसी क्षेत्र (सेक्टर) में प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने पर सभी तीनों मॉड्यूलों अर्थात् ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग, एडवान्स मॉड्यूल और स्पेशलाईज्ड मॉड्यूलों में सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र के संघटक रूप होंगे;

(xii) किसी व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एन0 ए0 सी0) से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय शिक्षुता परीक्षा के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेने पर एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्र;

(xiii) व्यवसाय से अभिप्रेत है, कोई व्यवसाय या पेशा, जो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाय ;

(xiv) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार (श्रम संसाधन विभाग);

(xv) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग / बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग;

(xvi) मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) से मान्यता प्राप्त संस्थान।

3. <u>बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग का स्तर एवं कोटियाँ :-</u>

(1) बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग राज्य स्तर का होगा और इसके सदस्य राज्य स्थित प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशक होंगे। इस संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे :-

(i) व्यवसाय अनुदेशक, ड्राईग अनुदेशक, वर्कशॉप कैलकुलेशन एण्ड साईस अनुदेशक, अनुरक्षण अनुदेशक इलेक्ट्रिकल, अनुरक्षण अनुदेशक मैकेनिकल, अनुदेशक स्टेनोग्राफी हिन्दी एवं अनुदेशक स्टेनोग्राफी अंग्रेजी। उपरोक्त सभी पद इस संवर्ग के मूल कोटि के पद होंगे।

(ii) ग्रुप अनुदेशक (प्रोन्नति का सोपान)

04 745 23

(2) (i) संवर्ग की विभिन्न कोटियों में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे ।

(ii) मुख्य अनुदेशक/तकनीकी सहायक एवं सहायक अधीक्षक के पद संयुक्त रूप ग्रुप अनुदेशक पद के नाम से जाने जायेंगे। पूर्व के पद इस हद तक संशोधित होंगे

(iii) इस संवर्ग के पदों का पदबल तथा वेतनमान राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेगी।

<u>सीधी भर्ती</u>

4. <u>भर्ती का स्रोत :–</u> संवर्ग में सीधी भर्ती, मूल कोटि में लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायगी ।

(क) <u>पद का सोपान, नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु/अनुपात, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव–</u>

क्र० सं०	पदनाम/ग्रेड	सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का क्रमशः अनुपात	प्रोन्नति का सोपान	सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव	सुसंगत व्यवसाय में प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमान्य अर्हता।
(I)	व्यवसाय अनुदेशक	शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति	ग्रुप अनुदेशक	प्रत्येक व्यवसाय में अनुदेशक के दो पद में से एक पद इंजिनियरिंग में डिग्री/डिप्लोधारी उम्मीदवारों के लिए एवं एक पद राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी उम्मीदवारों के लिए होगा और तदनुसार अर्हताएँ क्रमशः निम्न प्रकार होंगी – (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग के सुसंगत ब्राँच में चार वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री के साथ किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग के सुसंगत ब्राँच में तीन वर्षीय डिप्लोमा के साथ किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव। (ii) सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव।	संबंधित व्यवसाय में शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना में एक वर्षीय प्रमाण पत्र

(II)	(i) अनुरक्षण अनुदेशक (मैकेनिकल) (ii) अनुरक्षण अनुदेशक (इलेक्ट्रिकल)	शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति	ग्रुप अनुदेशक	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मति एवं रख–रखाव का न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव । अथवा मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 03 (तीन) वर्ष का डिप्लोमा एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मति एवं रख–रखाव का न्यूनतम 02 (दो) वर्षों का अनुभव । (ii) संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी कारखाना से मशीनों की मरम्मति एवं रख–रखाव का न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव ।	संबंधित व्यवस्र शिल्प अनुदेशक योजना में एक .... प्रमाण पत्र
(III)	ड्राईंग अनुदेशक	शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति	ग्रुप अनुदेशक	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री एवं न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव । अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं न्यूनतम 02 (दो) वर्षों का अनुभव । (ii) एन0 सी0 भी0 टी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शा नबीश (यांत्रिक) ड्राफ्ट मैन के व्यवसाय में प्रमाण– पत्र एवं न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव।	संबंधित व्यव शिल्प अनुदेशव योजना के ROD&A (Re Drawing Arithmatic का प्रमाण

(IV)	वर्कशॉप कैलकुलेशन एण्ड साईन्स अनुदेशक	शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति	ग्रुप अनुदेशक	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं 02 (दो) वर्ष का अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री एवं न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।	शिल्प अनुदेशक प्रशिक्ष योजना के अधीन ROD&A (Reading Drawing and Arithmatic) प्रशिक्ष का प्रमाण–पत्र।
(V)	स्टेनोग्राफी हिन्दी / अंग्रेजी अनुदेशक	शत प्रतिशत (100%) सीधी नियुक्ति	ग्रुप अनुदेशक	स्टेनोग्राफी (हिन्दी / अंग्रेजी) में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव सहित। अथवा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस / बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा या समकक्ष, न्यूनतम 02 (दो) वर्षों का अनुभव सहित। अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री, न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव सहित।	संबंधित व्यवसायों में शि अनुदेशक प्रशिक्षण यो में एक वर्षीय प्रमाण प

नोट :– राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0भी0टी0), कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार (डी0जी0टी0) द्वारा व्यवसाय अनुदेशक सीधी नियुक्ति के लिए समय–समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणि योग्यता / तकनीकी अर्हताएँ एवं अनुभव, राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ नि अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे।"

(ख) कालावधि :– संवर्ग के विभिन्न कोटियों में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय निर्धारित की जायेगी।

7A2 20 (11)

5. रिक्तियों का निर्धारण :– राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील को स सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु रिक्तियों का अलग–अलग निर्धारण करेगी। रि की अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जायेगी ।

6. विज्ञापन :– सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त होने पर उ समय–समय पर उन रिक्तियों को भरने की अनुशंसा देने हेतु यथोचित री विज्ञापित करेगी।

7. उम्र सीमा:– सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा अधियाचना के वर्ष की अगस्त को 21 (इक्कीस) वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य स (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी ।

8. आरक्षण:– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 एव अधीन राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विहित नियमावली एवं रोस्टर नि एवं प्रोन्नतियों पर लागू होंगे।

9. नियोजन की प्रक्रिया :–(क) भारत सरकार डी0जी0टी0 द्वारा निर्गत प्रावधाना एन0सी0भी0टी0 से संबंधन प्राप्त औ0 प्र0 संस्थानों में अनुदेशकों के योग्यत मानदण्ड के अनुसार प्रति दो (1+1) युनिट एक अनुदेशक सुसंगत शाखा में डि /डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। अनुदेशकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुवि संबंध में अधियाचना आयोग को दो भागों में भेजी जायेगी। प्रत्येक ट्रेड में रिं के आधार पर प्रति दो (1+1) यूनिट (प्रति दो पद) में से एक डिग्री/डिप्लोमाधारी उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए होगा एवं एक पद आई0टी0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए होगा। यदि किसी ट्रेड में दो के गुणात्मक संख्या स अतिरिक्त पद शेष बच जाता है, तो वह पद डिप्लोमा/डिग्रीधारी उम्मीदवा लिए अधियाचना में भेजा जायेगा ।

(ख) डिग्री/डिप्लोमाधारी एवं आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अनुदेशकों को नियुक्ति अधियाचना रिक्तियों के अनुसार एक आरक्षण वर्गवार आयोग को एक संव्यवह भेजी जायेगी।

(ग) डिग्री/डिप्लोमाधारी तथा आई0टी0आई0 उत्तीर्ण दोनों अधियाचनाओं के उम्मी के लिए अलग–अलग पाठ्यक्रम होगा । परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग निर्धारित किया जायेगा।

(घ) आयोग एक ही तिथि को आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर अधियाचनाओं के उम्मीदवारों का चयन कर अपनी अनुशंसा नि0 एवं प्र0 संसाधन विभाग को उपलब्ध करायेगा।

(ङ) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 8025, दिनांक 21.05.2013 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के विरूद्ध पूर्व में संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत रहे वैसे अनुदेशक जो नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता पूरी करते हों, को उनके द्वारा किये गये संतोषप्रद सेवा के लिए छः माह से ऊपर की अवधि को एक पूर्ण वर्ष मानते हुये प्रत्येक वर्ष के लिए 5 (पाँच) अंक, अधिकतम 30 (तीस) अंकों की अधिमानता दी जायेगी। उक्त अधिमान्यता को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं उम्र अधिक होने की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा में निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन अनुभव पर उनके द्वारा पूर्व में सम्पादित सेवा की अवधि के समतुल्य छूट दी जा सकेगी।

(च) वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे परन्तु यदि उनका चयन हो जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर अपने व्यवसाय में सी0आई0टी0एस0 का कोर्स पूर्ण करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ हों तो उसे उक्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए एक वर्ष और अनुमान्य किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर सी0 आई0 टी0 एस0 प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं किया जायेगा तथा सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है जिसके लिए संबंधित व्यक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा डिग्री/डिप्लोमाधारक जिन्होने CITS ट्रेनिंग के प्रथम सेमेस्टर की सीधी परीक्षा उत्तीर्ण की है, इन्हें CITS ट्रेनिंग के द्वितीय सेमेस्टर का ही प्रशिक्षण नियुक्ति के तीन वर्षों के अंदर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(छ) चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जायेगी :–

(i) लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(ii) राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र (एन0 टी0 सी0)/शिक्षुता प्रमाण पत्र/डिप्लोमा प्रमाण पत्र/अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 2[0] प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।

(iii) सी0 आई0 टी0 एस0 परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30 प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा।

(ज) एक संव्यवहार में डिग्री/डिप्लोमा तथा आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने पर डिग्री/डिप्लोमा के अनुशंसित उम्मीदवारों को आई0टी0 आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों से वरीय माना जायेगा।

(झ) आयोग द्वारा नियम 9 (छ) तथा उसमें 9 (ङ) के प्राप्तांक (यदि कोई हो) जोड़कर उसके अनुसार चयनित उम्मीदवारों को अंतिम मेधा सूची कंडिका–(के आलोक में समेकित कर मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं उसे निदेशालय नियुक्ति हेतु प्रेषित करेगी।

10. **परीक्षा शुल्क** :— उम्मीदवार द्वारा आयोग का निर्धारित शुल्क देय होगा।

11. **परिवीक्षा अवधि** :— (1) सभी सीधी नियुक्तियाँ परिवीक्षा के आधार पर की जायेगी। इसकी अवधि दो वर्ष की होगी।

(2) यदि किसी परिवीक्षाधीन कर्मचारी का कार्य या आचरण सभी ... संतोषप्रद नहीं हो तो अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से ... अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यदि वर्धित अवधि में भी ... आचरण संतोषप्रद नहीं हो तो उसे यथास्थिति पदमुक्त किया जा सकेगा।

(3) विभागीय परीक्षा—परिवीक्षा अवधि में सीधी भर्ती से नियुक्त अनुदेशक ... परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी, जो सरकार द्वारा ... जाय।

12. **प्रशिक्षण** :— परिवीक्षा अवधि में व्यवसाय अनुदेशक को ऐसे सभी प्रशिक्ष... भाग लेना आवश्यक होगा, जो उनके लिए विनिश्चित की जाती है।

13. **सम्पुष्टि** :— परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद ढंग से पूरी हो जाने तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही उनकी सेवा सम्पुष्ट ... सकेगी।

14. **अनुदेशक कोटि में वरीयता का अवधारण** :—

(1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व किसी ग्रेड में नियुक्त ... सदस्यों की पारस्परिक वरीयता उस तिथि से पूर्व यथा अवधारित उनकी पार... वरीयता के अनुसार विनियमित की जाएगी :

परन्तु यदि सेवा के ऐसे किसी सदस्य या सदस्यों की वरीयता उस ति... पूर्व विशिष्टतः अवधारित न की गई हो तो उनकी वरीयता का अवधारण नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(2) किसी ग्रेड में स्वतः सम्मिलित सभी अनुदेशक उन सभी अनुदेशकों से ... होंगे, जिनकी उस ग्रेड में नियुक्ति नियत तिथि के बाद की किसी तिथि से हु...

(3) नियत तिथि के बाद किसी ग्रेड में सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति... पारस्परिक वरीयता सिर्फ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के मेधा-सूची के ... निर्धारित की जायेगी।

(4) एक संव्यवहार में डिग्री/डिप्लोमा तथा आई0टी0आई0 उत्तीर्ण उम्मीदव... अनुशंसा प्राप्त होने पर डिग्री/डिप्लोमा के अनुशंसित उम्मीदवारों को आई... आई0 उत्तीर्ण उम्मीदवारों से वरीय माना जायेगा।

<u>भाग—3</u>

प्रोन्नति

15. **प्रोन्नति** :— (1) इस संवर्ग में प्रोन्नति वरीयता—सह—योग्यता के आध... विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में विचारणीय होगी।

(2) सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की वरीयता सरकार के सामान्य प्रशासन ... द्वारा समय—समय पर विनिश्चित सिद्धान्त एवं प्रक्रिया के अनुसार अवधारि... जायेगी।

16. विभागीय प्रोन्नति समिति :– (क) निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्ग ग्रुप अनुदेशक के पद पर प्रोन्नति के निमित्त विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न गठित की जायेगी :–

1. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण – अध्यक्ष
2. सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा नामित पदाधिकारी – सदस्य
3. संयुक्त निदेशक (नियोजन)/वरीयतम उप निदेशक (नियोजन)/ (संयुक्त निदेशक नियोजन के अनुपलब्धता की स्थिति में) – सदस्य
4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनु० जाति/ अनु० जनजाति का एक प्रतिनिधि पदाधिकारी – सदस्य
5. अल्पसंख्यक समुदाय का एक प्रतिनिधि पदाधिकारी – सदस्य
6. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/वरीयतम उपनिदेशक प्रशिक्षण (संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के अनुपलब्ध होने की स्थिति में) –सदस्य.

भाग–4 : प्रकीर्ण

17. अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील :– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियं एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान इ संवर्ग पर भी लागू होंगे।

18. इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुबंधित सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में ज अन्य निर्णयों से शासित होंगी।

19. इस नियमावली के किसी नियम के निर्वचन में किसी संशय की स्थिति में सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर विधि विभाग के परामर्श पश्चात् विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

20. इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकेगी, जो कठिनाईयों निराकरण के लिये आवश्यक एवं समीचीन हो।

21. निरसन एवं व्यावृति :– (1) विभाग द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत संवर्ग से संबंधित वर्तमान नियमों/विनियमों/अनुदेशों एवं आदेशों को एतद् द्व निरसित किया जाता है।

(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी वर्त्तमान नियमों/विनियमों के अधीन गयी कार्रवाई अथवा लिया गया निर्णय इस नियमावली के प्रावधानों के अ किया गया अथवा ली गयीं मानी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त जब ऐसी कोई कार्रवाई की गयी अथवा कोई निर्णय लिया गया।

(3) इस निरसन के होते हुये भी इस नियम के उप–नियम (1) के अधीन तथा हद तक, जब वे इस नियमवाली के प्रावधानों के विरूद्व न हों, उसके अ प्रोद्भूत माना गया कोई अधिकार एवं उनके अधीन उपगत दायित्व प्रभावित होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या—टी 1/स्था0 (अनु)0—190/2008......950....../पटना, दिनांक— 11.05

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के साधारण अंक में प्रकाशित करने तथा इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ नि नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) को भेजने हेतु अग्रसारित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या— टी 1/स्था0 (अनु)0—190/2008......950....../पटना, दिनांक— 11.05

प्रतिलिपि:— सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक प्रशिक्षण/सभी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान सहित)/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण/सहायक नि परीक्षा/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

श्रमायुक्त का कोषांग
प्राप्ति सं० एवं तिथि...8784...30/12/...
प्रेषण तिथि.........

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

संख्या—टी 1/स्था0 (अनु)0—190/2008.................../अधिसूचना सं०....950.....दिनांक. 11.0 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव